राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें

क्रमांक: एफ 15 ( )आदेश/विधि/आईसीडीएस/09 45347 जयपुर दिनांक 6.7.09

आदेश

प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधि परामर्शी विधिक एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) जयपुर के पत्र क्रमांक प.12 (15) राज/वाद/08 जयपुर दिनांक 29.05.09 के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष विचाराधीन समस्त सिविल मामलों की पैरवी एवं जवाबदावा तैयार/प्रस्तुत करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों में प्रशासक वादकरण श्री सुधीर दीक्षित द्वारा पूल " सी " के प्रभारी श्री एन.ए.नकवी अतिरिक्त महाधिवक्ता (मो. न. 98290–59496) एवं श्री यशवन्त कन्खारिया को डिप्टी राजकीय काउन्सिल (मो. न. 98282--04653) नियुक्त किया गया है।

विभागीय पूर्व आदेश कमांक: 69408 दिनांक 28.11.08 , 18961 दिनांक 23.03.09 एवं 35240 दिनांक 03.06.09 के द्वारा सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर में सभी विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलिया पूर्व गर्वमेन्ट काउन्सिल से प्राप्त कर अथवा पत्रावलिया पुनः संधारित कर या अन्य उचित तरीके से संबधित गर्वमेन्ट काउन्सिलों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें किन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि नव नियुक्त गर्वमेन्ट काउन्सिल को पत्रावलिया उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिसके कारण समय पर प्रकरणों की पैरवी नहीं हो पाती है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरणों की प्रत्रावलिया संबधित जिले के उप निदेशक प्रभारी अधिकारीयों के मार्फत नव नियुक्त गर्वमेन्ट काउन्सिल को उपलब्ध कराकर मय सूची के इस आशय का प्रमाण–पत्र अविलम्ब 7 दिवस में निदेशालय को प्रेषित करेगें। साथ ही प्रभारी अधिकारी गर्वमेन्ट काउन्सिल को चाहे अनुसार प्रकरण से सम्बधित सम्पूर्ण रिकार्ड/तथ्य एवं अपने दूरभाष/ सैल न0 आदि आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगें ।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 15 ( )आदेश/विधि/आईसीडीएस/09 45348-674 जयपुर दिनांक 6.7.09

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारीता राजस्थान, जयपुर
2. निजी सहायक निदेशक,समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान जयपुर
3. समस्त अधिकारिगण मुख्यालय
4. समस्त उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाये।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवायें।
6. प्रोग्रामर मुख्यालय को web site पर डालने हेतु।

अति. निदेशक (शिशु)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

LAB-D/RAKESH/NEELAM/M.S. DOC 20